

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 623]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2020 — अग्रहायण 19, शक 1942

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 दिसम्बर 2020

सूचना

क्रमांक एफ 11-01/2019/सात-4.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, अधिसूचना क्र. एफ 11-01/2019/सात-4, दिनांक 11 नवम्बर, 2020 में, नवीन तहसील भिलाई-3, जिला दुर्ग की सीमाओं में आंशिक परिवर्तन करते हुये, निम्नलिखित संशोधन करना प्रस्तावित करती है;

राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से सात दिवस की समाप्ति पर, प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा इसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव, लिखित में, सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व, अग्रेषित किये जा सकेंगे :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, —

- (1) अनुसूची के कॉलम (4) में सृजित नवीन तहसील भिलाई-3 के सम्मुख कॉलम (5) में, शब्द “राजस्व निरीक्षक मण्डल दुर्ग” के स्थान पर, शब्द “राजस्व निरीक्षक मण्डल दुर्ग-1” प्रतिस्थापित किया जाये।
- (2) अनुसूची के परिवर्तन का स्वरूप के कॉलम (5) में, राजस्व निरीक्षक मण्डल जामुल में, शब्द एवं अंक “पटवारी हल्का नं. 18 एवं 49 के कुल 04 ग्राम” के पश्चात्, शब्द एवं अंक “के साथ पटवारी हल्का नं. 16 एवं 17 के 03 ग्राम, इस प्रकार राजस्व निरीक्षक मण्डल जामुल में पटवारी हल्का नं. 16, 17, 18 एवं 49 के कुल 07 ग्राम शामिल होंगे” अंतःस्थापित किया जाये।
- (3) अनुसूची के नवीन तहसील की सीमाएं के कॉलम (6) में, शब्द “दक्षिण-तहसील दुर्ग” के स्थान पर, शब्द “दक्षिण-तहसील पाटन एवं दुर्ग, जिला दुर्ग” एवं शब्द “पूर्व-तहसील दुर्ग” के स्थान पर, शब्द “पूर्व-तहसील रायपुर, जिला रायपुर” तथा शब्द “पश्चिम-तहसील राजनांदगांव” के स्थान पर, शब्द “पश्चिम-तहसील दुर्ग एवं धमधा, जिला दुर्ग” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.डी. दीवान, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 10th December 2020

NOTICE

No. F 11-01/2019/Seven-4.— In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the said Code, the State Government, proposes to the following amendment in vide Notification No. F 11-01/2019/Seven-4, Dated 11th November, 2020, by making partial change in the boundaries of new tehsil Bhilai-3, District-Durg;

The proposal shall be taken into consideration on the expiry of Seven days from the date of publication of this notice in the Official Gazette and any objections or suggestions in respect thereof may be forwarded, in writing to the Secretary, Department of Revenue and Disaster Management, Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Capitol Complex, Nava Raipur Atal Nagar, District Raipur before the expiry of the said period :-

AMENDMENT

In the said Notification, -

- (1) In column (5) against create new tehsil Bhilai-3 in column (4) of the Schedule, for the words "Revenue Inspector Mandal Durg", the words and figure "Revenue Inspector Mandal Durg-1" shall be substituted.
- (2) In column (5) of nature of change of the schedule, in Revenue inspector Mandal Jamul, after the words and figure "Total 04 villages of Patwari Halka No. 18 and 49", the words and figure "with 03 villages of Patwari Halka No. 16 and 17, thus total 07 villages of Patwari Halka No. 16, 17, 18 and 49 shall be included in Revenue Inspector Mandal Jamul" shall be inserted.
- (3) In column (6) of boundaries of New Tehsil of the Schedule, for the words "South-Tehsil Durg", the words "South -Tehsil Patan and Durg, District Durg" and for the words "East-Tehsil Durg", the words "East-Tehsil Raipur, District Raipur" and for the words "West-Tehsil Rajnandgaon", the words "West-Tehsil Durg and Dhamdha, District Durg" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

M.D. DIWAN, Joint Secretary.